विषय :-- केसों के निषटान में विलम्ब-परिहार के प्रश्न पर विचार करने के लिये 29-9-71 को हुई सभी प्रशासकीय सिखवों की बैठक-सरकारी कार्य निपटान में विलम्ब की समान्ति।

क्या वित्तायुक्त, राजस्व तथा सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार कृपया इस विभाग के शाः का कमांक 1047-5 ए० ग्रार0-71, दिनांक 9-6-71 की ग्रोर ध्यान देंगे ?

- 2. ऐसा देखने में ग्राया है कि विलम्बित मामलों के बारे में मुख्य मन्ती महोदय को प्रस्तुत की जान वाली मासिक रिपोर्ट कुछ विभागों द्वारा प्रस्तुत नहीं की जा रही है ग्रौर कुछ ग्रन्य विभागों के सम्बन्धित अधिकारी इन रिपोर्टों को तैयार करने में विशेष रुचि नहीं ले रहे हैं। जिसके कारण उनमें कई प्रकार की गलतियां पाई जाती हैं। ग्रतः ग्रापसे अनुरोध है कि ये मासिक रिपोर्ट नियमित रूप से तथा भली प्रकार से छानबीन कर प्रत्येक मास की 7 तिथि तक इस विभाग को अवश्य भेजी जाया करे। इन मासिक रिपोर्टों में केवल इतना ही कहना काफी न होगा कि ग्रमुक मामला विवारा—धीन है बल्कि यह भी बताया जाया करे कि अमुक मामला किस स्तर पर लम्बित है। इस सम्बन्ध में परिशोधित अनुबन्ध III संलग्न है।
- 3. इस सम्बन्ध में यह भी निर्णय किया गया है कि प्रशासकीय सचिव, एक महीने से अधिक लिम्बत मामलों के बारे में हर मास अपने अधीन काम करने वाले शाखा अधिकारियों की बैठक बुलाया करें और इस सम्बन्ध में एक नोट मुख्य सचिव को प्रस्तुत किया करें जिसमें उन महत्वपूर्ण विषयों का ब्यौरा दिया जाये जिन पर बैठक में बात हुई हो।

हस्ता 0/-

दिनांक, चण्डीगढ़ 3 नवम्बर, 1971

अवर सचिव, रक्षा, कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

- (1) वित्तायुक्त, राजस्व, हरियाणा।
- (2) सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार

अशा 0 कमांक 2358-5ए0 आर0-71

कमांक 2585-4ए0आर0-71/

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

म्रायुक्त, भ्रम्बाला मण्डल और सभी उपायुक्त, हरियाणा । दिनांक, चण्डीगढ़ 29 दिसम्बर, 1971

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट आफिस मैनुअल के अध्याय 3 में अन्तिविष्ट उपबन्धों के अनुसार आयुक्त तथा उपायुक्तों को हर 15 दिन के पश्चात् ऐसे विलिम्बित केसों का एक विवरण प्रस्तुत किया जाना होता है जो उनके कार्यालयों द्वारा 7 दिन के अन्दर-अन्दर न निपटाये गये हों। इस विवरण में ऐसे केसों के न निपटाये जाने के कारण भी बताने होते हैं। इस पाक्षिक विवरण के अतिरिक्त महत्वपूर्ण लिम्बत मामलों का एक और विवरण भी प्रस्तुत करना होता है जिसमें यदि कोई केस 15 दिन में अथवा केस के निपटान को निर्धारित अवधि में के निपटाया गया हो तो उसके कारणों का उल्लेख करना होता है।

2. सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि डिस्ट्रिक्ट आफिस मैनुअल के उपबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है इस का नितीजा यह है कि आयुक्त तथा उपायुक्तों को उनके कार्यालयों में सारे विलिम्बित मामलों की पूरी जानकारी नहीं होती। इसिलिये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आप सुनिश्चित करें कि भविष्य में डिस्ट्रिक्ट आफिस मैनुअल के इन उपबन्धों का दृढ़ता पूर्वक पालन किया जाये ताकि केस अनावश्यक तौर पर किसी स्तर पर न पड़े रहें।

कृपया इसकी पावती भेजें।

भवदीय, हस्ता 0/-

उपसचिव, सामान्य प्रशासन, कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

(English Version)

I am directed to say that according to the provisions contained in Chapter 3 of the District Office Manual a statement should be put up to the Commissioner and the Deputy Commissioners, every 15 days regarding the cases pending in their respective offices, which have not been disposed of within 7 days. In this statement, reasons for non-disposal of such cases are also required to be mentioned. In addition to this statement a statement of important pending cases is also required to be put up to these officers in which reasons for delay have to be mentioned if an important case has not been disposed of within 15 days or has been pending beyond the date fixed for its disposal.

- 2. It has been brought to the notice of Government that the above mentioned provision of the District Office Manual are not being complied with, with the result that there is a possibility of the Commissioner and the Deputy Commissioners being not in knowledge of the cases pending in their respective offices. I am, therefore, directed to request you that it should be ensured that in future, these provisions of the District Office Manual are meticulously complied with so that cases are not held up un-necessarily at any level.
- Plese acknowledge receipt.